न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0 13/2002
रामसेवक बनाम प्रहलाद

06.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 47क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 47क2 सायल द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा विपक्षी सं0 1 प्रहलाद सिंह का देहान्त प्रकीर्ण वाद सं0 61/2003 के लम्बन के दौरान हो गया है, जिसके वरासत की कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा हो चुकी है। उनके उत्तराधिकारी सीता सिंह व सरोज सिंह को दौरान कार्यवाही प्रकीर्ण वाद सं0 61/2003, प्रतिस्थापित किया जा चुका है। अतः मृतक से संबंधित संशोधन प्रकीर्ण वाद सं0 13/2002 में किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

विपक्षी द्वारा आपत्ति 52ग2 के जरिए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र कालबाधित है और मुकदमा अवेट हो चुका है। प्रार्थनापत्र में मृतक के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थनापत्र 47क2 निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 47क2 विपक्षी सं0 1 प्रहलाद सिंह का देहान्त दौरान मुकदमा हो जाने के फलस्वरूप प्रकीर्ण वाद में संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। मृतक के उत्तराधिकारी सीता सिंह व सरोज सिंह को दौरान कार्यवाही प्रकीर्ण वाद सं0 61/2003, प्रतिस्थापित किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तावित वारिसानों पर तामीला जरिए प्रकाशन पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 47क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 47क2 स्वीकार किया जाता है। सायल आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली दिनांक 17.11.2017 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती